संख्या- 11/2015/1458/छत्तीस -2-2015-6(जी)/15

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
(2) समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

श्रम अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 18 सितम्बर, 2015

विषय:- उपकर (सेस) की वसूली की नियमित समीक्षा।

महोदय,

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियमावली, 1996 के नियम-2 के उपनियम(एफ)एवं(जी) के अधीन श्रम अनुभाग-2 की अधिसूचना 1412/छत्तीस-2-2009-251(एस0एम)/95 दिनांक 20.11.2009 एवं अधिसूचना संख्या-752/छत्तीस-2-2010-46/10 दिनांक 15.09.2010 द्वारा सभी सरकारी, गैर सरकारी भवनों एवं सन्निर्माण कार्यों तथा निजी आवासीय भवन जिनकी लागत रू0 10.00 लाख एवं उससे अधिक है, कुल निर्माण लागत का 01 प्रतिशत की दर से उपकर (सेस) के निर्धारण एवं वसूली के लिए उपकर निर्धारण अधिकारी/उपकर संग्राहक अधिसूचित किया गया है। इसके अतिरिक्त भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियमावली, 1996 के नियम-4 के उपनियम (एच) व श्रम अनुभाग-2 की अधिसूचना 381/छत्तीस-2-10-23/2010 दिनांक 14.07.2010 द्वारा प्रदेश के समस्त मण्डलायुक्तों को अपीलीय प्राधिकारी अधिसूचित किया गया है।

2- विकास कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक में निर्माणाधीन भवनों/प्रतिष्ठानों/प्रोजेक्टों के संबंध में संबंधित कार्यदायी संस्थाओं एवं स्थानीय श्रम कार्यालयों से उपकर (सेस) की वसूली की सूचना निम्नलिखित संस्थाओं से प्राप्त करने के लिए निर्धारित छह प्रारूप संलग्न हैं:-

(1) प्रारूप 1-(क) सार्वजनिक निर्माण से संबंधित कार्यदायी संस्थाओं से सूचना (उपकर से संबंधित विवरण)
(2) प्रारूप 1-(ख) निजी निर्माणकर्ताओं से संबंधित सूचना (उपकर से संबंधित विवरण)
(3) प्रारूप 1-(ग) नक्शा पास करने वाले विभागों से वांछित सूचना (उपकर से संबंधित विवरण)
(4) प्रारूप 1-(घ) उपकर निर्धारण करने वाले कार्यालयों से प्राप्त होने वाली सूचना (उपकर से संबंधित विवरण)
(5) प्रारूप 2- स्थानीय श्रम कार्यालय से प्राप्त होने वाली सूचना (अधिष्ठान पंजीयन से संबंधित सूचना)
(6) प्रारूप 3- स्थानीय श्रम कार्यालय से प्राप्त होने वाली सूचना (निरीक्षण/अभियोजन से संबंधित सूचना)

http://shasanadesh.up.nic.in

---

2. कृपया विकास कार्यों की मासिक समीक्षा बैठकों में उक्त संस्थाओं से संलग्न प्रारूपों पर सूचना प्राप्त करके उपकर (सेस) वसूली की नियमित समीक्षा सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

आलोक रंजन
मुख्य सचिव।

संख्या- 11/2015/1458(1)/छत्तीस-2-2015, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. श्रमायुक्त, उ0प्र0 कानपुर।
2. सचिव, उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, लखनऊ।
3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

परशुराम प्रसाद
विशेष सचिव।

नोटः- **संबंधित प्रारूपों को उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, लखनऊ की बैबसाइट http://upbocw.in/ पर देखने का कष्ट करें।**

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।